पटना में दिनांक–26 मई, 2015 मंगलवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

सामान्य प्रशासन विभाग

1.	श्री शशांक कुमार लाल, (बि॰प्र॰से॰), कोटि क्रमांक–1089/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी साहेबपुर कमाल, बेगुसराय द्वारा सेवा से बर्खास्तगी के विरूद्ध समर्पित अभ्यावेदन/पुनर्विलोकन अर्जी के संबंध में।	1.	स्वीकृत।

कृषि विभाग

2.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के वेतन/पेंशन का दिनांक–01.01.2006 से पुनरीक्षण के फलस्वरूप बकाया अन्तर राशि कुल रू० 33,18,62,715 रूपये (तैंतीस करोड़ अठारह लाख बासठ हजार सात सौ पन्द्रह रूपये) के विमुक्ति की स्वीकृति।	2.	स्वीकृत।

खान एवं भूतत्त्व विभाग

3.	श्री हरिमोहन दास, तत्कालीन सहायक खनन पदाधिकारी, नवादा सम्प्रति प्रभारी सहायक निदेशक, अंचल कार्यालय, भागलपुर को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में।	3.	स्वीकृत।

परिवहन विभाग

5.	भारतीय स्टेट बैंक के साथ–साथ अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ई–पेमेंट के अन्तर्गत कर भुगतान करने की सुविधा के विस्तार के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

6.	भूमिहीन महादलित परिवारों एवं अन्य सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन परिवारों के वास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 05 (पांच) डिसमिल गैरमजरूआ आम भूमि की बन्दोबस्ती की शक्ति समाहर्त्ता को प्रत्यायोजित करने के संबंध में।	6.	स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

7. बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय–समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित विभागों की सूची के क्रमांक '02' संसदीय कार्य विभाग को आवंटित कार्यों की सूची के क्रमांक–'14' के बाद एक नया क्रमांक–'15' ''विधान मंडल की स्थापना (पदों की स्वीकृति एवं सेवा नियमावली का गठन) संबंधी कार्य'' जोड़े जाने के संबंध में। — 7. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

8. शेखपुरा एवं किशनगंज न्यायमंडलों के गठन हेतु रू० 87,71,005/–(सतासी लाख इकहत्तर हजार पाँच) के वार्षिक अनुमानित व्यय भार पर गैर योजना मद में स्थायी रूप से न्यायिक पदाधिकारियों के कुल 08 (आठ) पदों का सृजन। — 8. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

9. बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 के नियम 2 (ख) में संशोधन के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

गृह (आरक्षी) विभाग

10. बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों में से सिपाहियों, हवलदारों, सहायक अवर निरीक्षकों एवं अवर निरीक्षकों को अवकाश के दिनों में भी काम करने के एवज में एक माह के वेतन के बराबर मानदेय भुगतान की स्वीकृति के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

11. तत्कालीन नोडल विभाग (जल संसाधन विभाग) के पत्रांक–7287, दिनांक–08.12.11 के द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के लिए संविदा पर नियोजन हेतु अनुशंसित एवं प्रथम पुनर्नियोजित (जिनकी संविदा अवधि दिसम्बर 2014 में समाप्त हो गयी) कुल–25 (पच्चीस) कनीय असैनिक अभियंता (सूची संलग्न) को वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुमोदित दरों पर आगामी एक वर्ष के लिए द्वितीय पुनर्नियोजन की स्वीकृति के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

12. तत्कालीन नोडल विभाग (जल संसाधन विभाग) के पत्रांक–1181, दिनांक–05.03.12 के द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के लिए संविदा पर नियोजन हेतु अनुशंसित एवं प्रथम पुनर्नियोजित (जिनकी संविदा अवधि जनवरी 2015 में समाप्त हो गयी) कुल–3 (तीन) कनीय यांत्रिक अभियंता (सूची संलग्न) का वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुमोदित दरों पर एक और वर्ष के लिए द्वितीय पुनर्नियोजन की स्वीकृति के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

13. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के क्रियान्वयन के निमित्त निबंधित सूक्ष्म उद्योग इकाईयों द्वारा उत्पादित सामग्रियों की दिनांक–12.10.2006 से दिनांक–13.03.2013 तक की अवधि में की गयी अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर केन्द्रीय बिक्री कर की दर 1 प्रतिशत करने के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

14. महादलित विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना से बिहार महादलित विकास मिशन को अनुदान के रूप में सहायक अनुदान वेतन मद में ₹ 90.00 लाख, सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण में ₹ 7910.00 लाख एवं सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा मद में ₹ 14000.00 लाख यानि कुल ₹ 22000.00 लाख (दो सौ बीस करोड़) उपलब्ध कराते हुए योजनाओं को कार्यान्वित कराने एवं व्यय करने की स्वीकृति का प्रस्ताव तथा राशि बिहार महादलित विकास मिशन को अनुदान के रूप में स्वीकृत कराते हुए उपलब्ध कराने एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2016–17 तक योजना को चालू रखने की स्वीकृति का प्रस्ताव है। — 14. स्वीकृत।

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

15. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य के सरकारी एवं अनुदानित विद्यालयों में संचालित मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना अन्तर्गत उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजट उपबन्ध के आलोक में अनुसूचित जाति के लिये ₹ 90.00 करोड़ (नब्बे करोड़) तथा अनुसूचित जनजाति के लिये ₹ 15.00 करोड़ (पन्द्रह करोड़) अर्थात कुल ₹ 105.00 करोड़ (एक सौ पाँच करोड़) व्यय करने की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 15. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

16. ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिर्वत्तन संस्थान (संशोधन) नियमावली–2015 तथा ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्त्तन संस्थान सोसाईटी सेवा शर्त्त (संशोधन) नियमावली–2015 की स्वीकृति के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

17. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006/2011 के अन्तर्गत घोषित रियायतें एवं देय सुविधाओं की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹ 430.038 करोड़ (चार सौ तीस करोड़ तीन लाख अस्सी हजार) मात्र के सब्सिडी की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 17. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

18. राज्य के नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पदासीन रहने के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रित को अनुग्रह अनुदान के रूप में ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रू०) मात्र की स्वीकृति के संबंध में। — **18. स्वीकृत।**

विधि विभाग

19. श्री सरोज कुमार वर्मा, प्रशाखा पदाधिकारी सम्पर्क कार्यालय, विधि विभाग को दिनांक–31.05.2013 को सेवानिवृत्ति के उपरांत दिनांक–01.06.2014 से अगले एक वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्त करने के संबंध में। — **19. स्वीकृत।**

आपदा प्रबंधन विभाग

20. दिनांक–21.04.15 को चक्रवाती तूफान से हुई फसल क्षति हेतु वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष–02–बाढ़–चक्रवात आदि, लघुशीर्ष–114–कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष–0001–कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) के अन्तर्गत बिहार आकस्मिकता निधि से ₹ 143.90 करोड़ (एक अरब तेतालीस करोड़ नब्बे लाख रूपये) अग्रिम का घटनोत्तर अनुमोदन के संबंध में। — **20. स्वीकृत।**

आपदा प्रबंधन विभाग

21. ओलावृष्टि के मद्देनजर वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष–02–बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष–114–कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष–0001–कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) के अन्तर्गत बिहार आकस्मिकता निधि से ₹ 276.44 करोड़ (दो अरब छिहत्तर करोड़ चौवालीस लाख रूपये) अग्रिम का घटनोत्तर अनुमोदन के संबंध में। — **21. स्वीकृत।**

आपदा प्रबंधन विभाग

22. भुकम्प के मद्देनजर गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष–06–भूकम्प के विभिन्न लघु/उपशीर्षों को अन्तर्गत बिहार आकस्मिकता निधि से ₹ 500.00 लाख (पाँच करोड़ रूपये) अग्रिम का घटनोत्तर अनुमोदन के संबंध में। — **22. स्वीकृत।**